संख्या-23/एनजीओ 20/84-2-2013-सीपी 16/2003

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आजमगढ़ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 23 सितम्बर, 2013

विषय राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष से वित्तीय सहायता/अनुदान प्राप्त करने के लिए स्वैच्छिक संगठन के प्राप्त आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच आख्या एवं संस्तुति उपलब्ध कराये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-325/ओएसडी-डीएम/2013, दिनांक 21 फरवरी, 2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्वैच्छिक संगठन "अभाव ग्रस्त दलित महिला सेवा संस्थान, खिदिरपुर, गाजीपुर" का प्रस्ताव मूल रूप में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में उक्त प्रस्ताव को मूल रूप में संलग्न कर (वापसी अपेक्षित) प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रस्ताव के साथ शासनादेश संख्या-सीपी 1004/29-8-2006-सीपी 16/2003, दिनांक 13.10.2006 द्वारा गठित जनपद स्तरीय जांच कमेटी का कार्यवृत्त संलग्न नहीं है। अत: कृपया उक्त कमेटी के माध्यम से प्रश्नगत स्वैच्छिक संगठन द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में किये गये कार्यो, उसके लेखा तथा बैंक एकाउन्ट की जांच कराते हुए शासनादेश संख्या-सीपी 776/84-2-2008-सीपी 16/2003, दिनांक 17.09.2008 द्वारा निर्धारित नवीन मार्गदर्शक सिद्धान्त के आलोक में भी प्रश्नगत स्वैच्छिक संगठन के प्रस्ताव का परीक्षण कराकर शासनादेश संख्या-सीपी 653/84-2-2009-सीपी 34/2006, दिनांक 30.11.2009 द्वारा निर्धारित समयावधि के अंतर्गत उक्त संस्था को अनुदान दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कमेटी की बैठक के कार्यवृत्त सहित अपनी स्पष्ट संस्तुति एवं प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। आख्या में कृपया इस तथ्य का भी विशेष रूप से उल्लेख किया जाय कि संस्था ब्लैकलिस्टेड/प्रतिबंधित तो नहीं है?

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)

अनु सचिव।

http://sirsamadesh.up.nic.in